« और कंपनी द्वारा कोई लागत वहन नहीं की जाती चूंकि पास धारकों को सामान्यतया टिकटधारी यात्रियों को खपाने के बाद ही खपाया जाता है ।

फिल्म सेंसर बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कदम

2212. **श्री नरेश यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा और अश्लीलता से समाज में अपराधों बढ़ावा मिलता है,

(ख) यदि हां, तो फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का क्या औचित्य है, और

(ग) फिल्म सेंस बोर्ड को और प्रभावी बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी0 एम0 सईद) : (क) फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता के प्रदर्शन के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है । तथापि, कोई अश्लीलता के प्रदर्शन के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है । तथापि, कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता तथा समाज में अपराधों के बीच प्रत्यक्ष अप्रासंगिक संबंध, यदि कोई हो, को सिद्ध करता हो,

(ख) सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाणिक करने के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई है जो एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है ।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है । छह क्षेत्रीय केन्द्रों में सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है तथा शेष केन्द्रों में पैनलों का पुनर्गठन करने की कार्यवाही की जा रही है । फिल्मों की जांच हेतु बोर्ड द्वारा गठित समितियों में महिलाओं की 50% प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमों को संशोधित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाना

2213. **श्रीमती मालती शर्मा :**

श्री राजनाथ सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर सरकार ने हवाई पट्टियां नहीं बनाई,

(ख) क्या सरकार ऐसे स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण करने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी जिलों और स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान हवाई पट्टियों का निर्माण करने का विचार रखती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इस समय उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानुपर, पंतनगर, देहरादून, झांसी, वाराणसी और ललितपुर में हवाई अड्डों का एक नेटवर्क और आगरा, इलाहाबाद और गोरखपुर में तिथिल एन्क्लेब है जिनका अनुरक्षण भारतीय विमानपत्तन प्रधिकरण द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित पन्द्रह (15) हवाई पट्टियां है । निजी नियंत्रण में कोई हवाई पट्टी नहीं है । नयी हवाई पट्टी का विकास यातायात संभावना और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करता है । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में किसी भी नयी हवाई पट्टी के निर्माण के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

World Bank Assistance for Alternative Guarantee Structure of Private Power Projects

2214. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the World Bank has shown keen interest in providing an alternative guarantee structure to private sector power projects in India by extending credit to ICICI for financing private sector investments;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in this regard?

MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) Ministry of finance have intimated that preliminary discussions are going on with World Bank for a possible line on credit to a selected number of financial institutions including ICICI for private financing of infrastructure projects in India with Government of India Guarantee. The line of credit and partial Credit c Guarantee may cover a whole renge of projects in the infrastructure sector including power. The world Bank may also extend partial credit guarantee to be offered to foreign commercial landers and investors with the aim of helping improve the maturity and financing terms of foreign borrowings of eligible Financial Institutions.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा तैयार की गई योजनाएं

2215. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गैर-परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निमग द्वारा कितनी योजनाएं बनाई गई है, और

(ग) इन योजनाओं को बनाने पर आर0 ई0 बी0 द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई थी और उक्त धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त हुई थी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0 ई0 सी0) एक वित्तीय संस्थान के रूप में ऊजो के गैर-परम्परागत स्रोतों यथा, लघु/छोटी/सुक्ष्म जल विद्युत, सोलर पी वी पावर, पवन फार्म आदि समेत 15मेगावाट तक की विद्युत के विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात 1993-94 और 1994-95 के दौरान निगम ने इस प्रकार की 11 परियोजनाओं अर्थात 2 लघु जल विद्युत, 2 सुक्ष्म जल विद्युत और 7 पवन फार्म परियोजनाओं के लिए 87.71 करोड़ रुपये की कुल ऋण धनराशि स्वीकृत की है।

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के लिए आर0 ई0 सी0 की निधियों में से आर0 ई0 सी0 ने स्वीकृत धनराशि की तुलना में 32.18 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है।

विश्व में नए बाजारों की तलाश में एअर इंडिया की अक्षमता

2216. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में नए बाजारों की तलाश करने में एअर इंडिया असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप यह अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विमानों की उपलब्धता संबंधी कठिनाईयों और प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक सीमाओं के बीच, एअर इंडिया ने हमेश सेवाओं के अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश की है। वर्ष 1995 के दौरान एअर इंडिया ने मौजूदा मार्गों पर अपनी आवृत्तियों में वृद्धि की है और आठ नए मार्ग शुरू किए है । एअर इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के दौरान, एन्टैब्बे, मैड्रि और तेल अवित जैसे कई नए स्थलों के लिए सेवाओं की और योजनाएं बनाई हैं।

Exhibiting obscene films in violation of various provisions

2217. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROAD-CASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that obscenity is an offence under the provisions of IPC, Post Office Act, 1893. Sea Customs Act, 1878, the Dramatic Performance Act, 1876 and the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986;